भारत के राजपत्र असाधारण (भाग-1, खण्ड-1) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

सार्वजनिक सूचना सं. 26 (आर ई-2010)/2009-2014
दिनांक: 24 जनवरी, 2011

विषयः स्किम्ड दुग्ध उत्पाद (एसएमपी), छेना (केसीन), और किसी अन्य दुग्ध उत्पाद के निर्यात पर डीईपीबी लाभ को समाप्त करना।

विदेश व्यापार नीति, 2009-20014 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डी.ई.पी.बी. दरों की अनुसूची (प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 1.1 में यथा उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन किया गया है -

25-01-2011 को अथवा उसके बाद किए गए पोतलदानों के संबंध में स्किम्ड दुग्ध उत्पाद (एसएमपी), छेना (केसीन) और किसी अन्य दुग्ध उत्पाद के निर्यात किसी उत्पाद समूह में डीईपीबी के विशिष्ट दर के अधीन अथवा विविध उत्पाद समूह की क्रम सं. 22ग और 22घ के अधीन डीईपीबी लाभ के हकदार नहीं होंगे।

इस संशोधन का प्रभावः

25-01-2011 से किए गए पोतलदान के लिए दुग्ध उत्पादों पर डीईपीबी लाभ को समाप्त कर दिया गया है।

(अनुप के. पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0.01/94/180/डीईपीबी-दुग्ध उत्पाद/एएम-11/पीसी-4(ख) से जारी)